

136

(13)

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को दत्त आदेश में भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगायी गयी है, परन्तु वृहद जनहित में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण किये जाने का उल्लेख किया गया है।

समान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत शहरी आवासों को लिए आवास निर्माण को प्रोत्साहन देते हुए शहरी निम्नवत जोन निर्माण कार्य में समान जोन निर्माण नीति (पाक से प्राथमिक आवास) को प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रों के अन्य सभी न्यु उपयोगों में अनुत्तरीय श्रेणी में रखा जावे, जिससे शहरी शरीरों के आवास निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।”

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

1. विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों का कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों का कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. निमित्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग

विमान-सहित, जम्हून, पाखान, सखिव, रुगयत्त, शासन, विभाषः

जयपुर।

राजस्थान, जयपुर

द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । जयपुन ।

8. सचिव जयपुर/जोधपुर/अजमेर दिज्जस प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर

9. वास्तु सङ्गुप्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।

10-3-विभिन्न मुख्य नगर निर्यातक, नगरीय विकास विभाग

14. उपर्युक्त विधि परामर्शो, नगरीय विकास विभाग।

२. सावित्री नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही वास्त

एक बार प्रत्येक मासिक रूप से निम्नलिखित विभागों को विभागीय बैकसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

14. पक्षित मन्त्रावली

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

(342)